हरियाणा सरकार

वन विभाग

ग्रविसूचना

दिनांक 29 जनवरी, 1998

सं का नि 33/संवि /अनु 309/9 8.— भारत के संविधान के अनु च्छेद 309 के पंरन्तुक द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रधोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा राज्य वन विभाग (ग्रुप ग) विविध अनुभाग धेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और मेवा शर्तों को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :—

भाग I सामान्य

- 1. (i) ये नियम हरिजाणा, राज्य वन विनाग (अनुग) निवित्र अनुभाग संक्षिप्त नाम तथा सेवा नियम, 1998, अहे जा सकते हैं।
 - (ii) ये राजपत्न में उनके प्रकाशन की विधि में लागू होंगे।
 - 2. इन नियमों में, जब तर्ज सन्दर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, ...

परिनापाएंग

- (क) "श्रपर प्रधान मुख्य वन संरक्षण" से अभिप्राय है, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा;
- (ख) "अायोग" से अभित्राय है, अर्मचारी चयन आयोग, हरियाणा;
- (ग) "मुख्य वन संरक्षक" मे अभित्राय है, मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा ;
- (घ) "वन संरक्षक" से अभिप्राय है, वन संरक्षक, हरियाणा;
- (इ) "सीधी भर्ती" से अभिप्राय है, कोई भी निगुक्ति जो नेवा में ये पदोस्नित या भारत सरकार या किसी राज्य सरकार की नेवा में पहले में लगे किसी अर्मचारी के स्थानान्तरण ये अन्यथा की गई हो ;
- (च) "सरकार" से अभिप्राय है, प्रशासकीय विभाग में हरियाणा नरकार;
- (छ) संस्था से ग्रभिप्राय है,-
 - (i) हरियाणा राज्य में लागू विधि द्वारा स्थापित कोई संस्था; अथवा
 - (ii) इन नियमों के प्रयोजनार्थ सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई बन्य संस्था ; या
- (ज) "प्रधान मुख्य वन संरक्षक" से अभिप्राय है, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा;
- (झ) "मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय" से अभिप्राय है,---
 - (i) भारत में विधि द्वारा, निगमित कोई विश्वविद्यालय ; या

- (ii) 15 ग्रगस्त, 1947, से पूर्व हुई परीक्षा के परिणाम स्वरूप प्राण उपाधि, उपाधि पत (डिप्लोमा) या प्रमाण पत की दशा में, पंजा सिंघ या ढाना विश्वविद्यालय ; या
- द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय घोषित किया गया हो ;
- (ञा) "सेवा" से अभिप्राय है, हरियाणा राज्य वन विभाग (मुप ग) विविध अनुभाग सेवा।

भाग II-सेवा में मर्ती

वदों की संख्या योर उनवा स्वरूप। सेवा में इन नियमों के परिशिष्ट क में बताये गये पद होंगे:

परन्तु इन नियमों की कोई भी बात ऐसे पदों की संख्या में वृद्धिया कमी करने या विभिन्न पदनामों और वेतनमानों वाले नवे पद स्थाई अथवा अस्थाई रूप से बनाने सरकार के अन्तर्निहित अधिकार पर प्रभाव नहीं डालेगी।

सेवा में नियुक्त किये गये उम्मीदवारों की राष्ट्रिकता, अधिवास तथा वरित्र ।

- 4. (1) कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी भी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक कि वह निम्नलिखित न हो,---
 - (क) भारत का नागरिक ; या
 - (ख) नेपाल की प्रजा; या
 - (ग) भूटान की प्रजा; या
 - (घ) तिब्बत का शरणार्थी, जो पहली जनवरी, 1962, में पहले भारत ग्रें स्थाई रूप से वसने के ग्राणय से ग्राया हो ; या
 - (ङ) भारतीय भूल का व्यक्ति, जो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, कीनिया, युगांडा तथा तंजानिया के संयुक्त गणराज्य (भूतपूर्व टांगानीका श्रीर जंजीबार), जांबिया, मलावी, जायरे और इथोपिया के किसी पूर्वी अफ़ीकी देश से प्रवासित होकर भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से आया हो:

परन्तु प्रवर्गं (ख), (ग), (घ), या (ङ) ये सम्बन्धित किसी प्रवर्गं का व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जा**री** किया गया हो ।

(2) कोई भी व्यक्ति, जिसकी देशा में पातता का प्रमाण-पत्र प्राप्त करना ्रावश्यक हो, आयोग द्वारा संचालित परीक्षा या साक्षात्कार के लिये प्रविष्ट किया । शाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय विधि के अधीन ऐसा विवाह अनुत्रेय है तथा ऐसा जा सकता है, किन्तु नियुक्ति का प्रस्ताव उसे सरकार द्वारा श्रावश्यक पात्रता एने के श्रन्य ग्राधार भी हैं ो वह किसी भी व्यक्ति को इस नियम के लागू होने से प्रमाण-पत्र जारी किये जाने के बाद ही दिया जा सकता है।

(3) कोई भी ब्यक्ति सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा तब तक नियुक्त नहीं बा बायेगा जब तक कि वह अपनी श्रन्तिम उपस्थिति के विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय ऐसी संस्था, यदि कोई हो, प्रधान शैक्षणिक अधिकारी से चरित्र प्रमाण-पत और दो ऐसे (iii) कोई अन्य विश्वविद्यालय, जो इन नियमों के प्रयोजनार्थ सरकार क्या जिस्मेदार व्यवितयों से जो उसके सम्बन्धीन हों, किन्तु उसके व्यक्तिगत ीवन में उससे शली-भांति वरिचित हों ग्रौर जो उसके विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, खालय या संस्था से सम्बन्धित नहीं, उसी प्रकार के प्रमाण -पत्न प्रस्तुत न करें।

HARYANA GOVT GAZ., APRIL 14, 1998

(CHTR. 24, 1920 SAKA)

5. कोई भी व्यक्ति, सेत्रा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया ायेगा, जो क्रायोगको श्रावेदन-पत्न प्रस्तुत करनेकी ग्रन्तिम तिथि को ग्रथवा उस**से प्**र्व वर्षकी आयु से कम अथवा 35 वर्षकी आयु से अधिक का हो।

सेवा में पदों पर नियुक्ति प्रधान गुरूय वन संरक्षक द्वारा की जायेंगी ।

नियुक्ति प्राधि-

योग्यताएं ।

7. कोई भी व्यक्ति सेवामें किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा तक कि सीबी भर्ती की दशा में, इन नियमों के परिशिष्ट 'खं के खाना 3 में ल्लिखित और सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति की दशा में पूर्वोक्त परिशिष्ट के ाता 4 में उल्लिखित योग्यताएं तथा ग्रनुभव न रखता हो:

परन्तु सीत्री भर्ती द्वारा नियुनित की दशा में अनुभव सम्बन्धी अहंताओं में नियुनित ाधिकारी के विवेक पर 50 प्रतिशत सीमा तक ढील दी जा सकेगी, ग्रनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा शारीरिक रूप से कलांग प्रवर्गों में,उनके लिए ग्रारक्षित रिक्तियों को भरने के लिए ग्रपेक्षित ग्रनुभव ने वाले. उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध न हो। ऐसा करने के लिये **लिखित** रूप कारण दिये जायेंगे।

8. कोई भी व्यक्ति,---

भयोग्ताएं ।

- (क) जिसने जीवित पति/पत्नी वाले व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है; या
- (ख) जिसने जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है, सेवा में किसी भी पद पर निथुक्ति का पात नहीं होगा :

परन्तु यदि सरकार की सम्बन्ध में संतुष्टि हो जाये कि ऐसे व्यक्ति तथा दे सकती है।

भर्ती का ढंग।

- 9. (1) सेवा में भर्ती निम्तलिखित डंग से की जाएगी:-
 - (क) परिमण्डल मुख्य प्रारुपकार नी दशा में,--
 - (i) प्रारुपकारों में से पदोन्नित द्वारा ; या
 - (ii) विसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी अधिकारी/कर्मचारी ये स्थानान्तरण या प्रतिनिधृदिह द्वारा ;
 - (छ) नाथव तहसीलदार की दशा में,--
 - (i) वन कानूनगो में से एदोन्नित द्वारा; या
 - (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले हे लगे किसी अधिकारी /कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनिधृत्वित द्वारा ;
 - (ग) तकनीकी सहायक की दशा में,--
 - गांख्यिकीय सहायकों में से पदोन्नित द्वारा; या
 - (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की ग्रेवा में पहले के लगे किसी अधिकारी/कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनिधृतित हारा ;
 - (घ) मण्डलीय वन प्रचार प्रविकारी की दशा में,--
 - (i) सीधी भर्ती द्वारा ; या
 - (ii) जिसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी अधिकारी/कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनिधृक्ति द्वारा ;
 - (ङ) सांख्यिकीय सहायक की दशा में,---
 - (i) 50 प्रतिशत अनुसंधान अनुवेषकों में से पदोन्नति द्वारा ; और
 - (ii) 50 मतिशत सीधी भर्ती द्वारा ; या
 - (iii) किसी राज्य सरकार जा भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी अधिकारी/कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनिधृतित द्वारा ;
 - (च) प्रारुपकार एवं सर्वेक्षक की दशा में,--
 - (i) सर्वेक्षकों में रे पदोन्नित द्वारा ; या
 - (ii) ितती राज्य सरकार या सारत सरकार की सेवा में पहले से लगे जिसी अधिकारी/कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनिधुनित द्वारा;

- (छ) मुख्य मैकेनिक की दशा में,---
 - (i) मैकेनिकों में से पदोन्नित द्वारा ; या
 - (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की नेवा में पहले से लगे किसी ग्रिविकारी/कर्मवारी के स्थानान्तरण या प्रतिनिकृतित द्वारा ;
- (ज) वन कानूनशो की दशा में,---
- (i) पटवारी, सीमां कन पर्यवेक्षक अथवा सीमां कन दरोगा में से पदोननित द्वारा ; या
- (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी अधिकारी/कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनिधुक्ति द्वारा;
- (झ) प्रारूपकार की दशा में,--
 - (i) 50 प्रतिशत ट्रेसरों में से पदोन्नित द्वारा ; तथा
 - (ii) 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ; या
 - (iii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की भेवा में पहले से लगे किसी ग्रिधकारी/कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनिधृतित द्वारा ;
- (ञा) कलाकार की दशा में,---
 - (i) सीधी भर्ती द्वारा ; या
 - (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी ग्रिक्शरी/अर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;
- (ट) फोटोग्राफर की दशा में,---
 - (i) सीधी भर्ती द्वारा ; या
 - किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की चेवा में पहले से लगे किसी ग्रिंधिकारी/कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनिधुवित द्वारा ;
- (ठ) अनुसंधान अन्वेषक की दशा में,--
- (i) संगणकों में से पदोन्नित द्वारा ; या
- (ii) िलती राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी ग्रिधिकारी/कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनिधृतित द्वारा ;

- (ड) सिनेमा सहायक की दशा में,---
- (i) सीधी भर्ती द्वारा ; या
- (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी प्रधिकारी/कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति हारा ;
- (ढ) मैकेनिक की दशा में,---
 - (i) दुक्टर चालक, ट्यूबवैल श्राप्रेटर में से पदोन्नित द्वारा ;
 - (ii) सीधी भर्ती द्वारा ; या
 - (iii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की बेला में पहले से लगे किसी कर्म चारी के स्थानान्तरण या प्रतिनिधुक्ति द्वारा ;
- (ण) चालक की दशा में,---
- (i) द्रैक्टर, चालक, क्लीनर या वन विभाग के (ग्रुप घ) कर्मचारियों में से पदोन्नित द्वारा;
- (ii) सीधी भर्ती द्वारा ; या
- (iii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी को स्थानान्सरण या प्रतिनिधुक्ति द्वारा ;
- (त) ट्रैक्टर चालक की दशा में,---
 - (i) 50 प्रतिशत क्लीनरों में से पदोन्नित द्वारा ; या
 - (ii) 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ; या
 - (iii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;
- (थ) सहायक मुख्य प्रचार ग्रधिकारी की दशा में,---
- (i) सीधी भर्ती द्वारा; या
- (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनिधृत्वत द्वारा ;
- (द) संगणक की दशा में,---
- (i) सीधी भर्ती द्वारा ; या
- (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

- (ध) सर्वेक्षक की दशा में,⊷-
 - (i) सीधी भर्ती द्वारा ; या
- (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले चे लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;
- (न) ट्रैसर की दशा में,--
- (i) सीधी भर्ती द्वारा; या
- (ii) निसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्म चारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;
- (प) ट्यूबवैल आप्रेटर की दशा में,---
- (i) मीबी भर्ती द्वारा; या
- (ii) िकसी राज्य सरकार या भारत तरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियक्ति द्वारा ;
- (फ) टयूबवैल मैकेनिक की दशा में,---
 - (i) सीबी भर्ती द्वारा ; या
 - (ii) जिसी राज्य नरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे जिसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनिय्क्ति द्वारा;
- (ब) वन पटवारी की दशा में,---
 - (i) सीधी भर्ती द्वारा; या
- (ii) जिल्ही राज्य सरकार या भारत सरकार की मेवा में पहले मे लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;
- (भ) सीमांकन पर्यवेक्षन की दशा में,---
 - (i) सीधी भर्ती द्वारा; या
- (ii) िक्सी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले मे लगे निसी कर्मवारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

- (म) सीमांकन दरोगा की दशा में,--
 - (i) सीधी भर्ती द्वारा ; या
- (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले में लगे लिली कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;
- (व) रैस्टोरर की दशा में,--
- (i) दफतरियों में से पदोन्नति द्वारा ; या
- (ii) िकसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे भिषा कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;
- (2) सभी पदोन्नतियां, जब तक श्रन्यया उपबन्धित न हों, ज्येष्टता एवं योगान के ब्राधार पर की जाएंगी ब्रोप केवल ज्येष्टता ही ऐसी पदोन्नतिया के लिये कोई ब्रिधना। प्रवान नहीं करेगी।

परिवीक्षा ।

10. (1) सेवा में किसी भी पद पर नियुक्त व्यक्ति, यदि वह सीधी द्वारा नियुक्त किया गया हो तो दो वर्ष की अवधि के लिए और यदि अन्यया नियुक्त विण गया हो तो एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगा:

परन्त्

- (क) ऐसी नियुक्ति के बाद किसी अनुरूप या उच्चतर पद पर प्रति नियुक्ति। पर ब्यतीत की गई ग्रवधि परिवीक्षा की ग्रवधि के 👊 में गिनी जायेगी;
- (ख) स्थानान्तरण द्वारा किसी नियुक्ति की दशा में भेवा में किसी । पर नियुक्ति से पहले किसी समकक्ष अथवा उच्चतर पद पर विशे गये कार्य की कोई अवधि नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर ॥ नियम के अधीन नियत परिवीक्षा अविध में गिनने की अनुगा दी जा सकती है; ग्रीर
- (ग) स्थानापन्न नियुक्ति की कोई अवधि परिवीक्षा पर व्यतीत की गई प्रवा के रूप में गिनी जायेगी किन्तु कोई भी व्यक्ति जिसने ऐसे स्थानापन के रूप में कार्य किया है, परिवीक्षा की विहित अविध के पूरी 👭 पर, यदि वह किसी स्थायी पद पर नियुक्त न किया गया हो, पूर्ण लग निश्चित की जाएगी: किये जाने का हकदार नहीं होगा ।
- (2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, परिवीक्षा की अवधि के बीपा रते समय, आयोग हारा निर्धास्ति योग्यता कम भग नहीं किया जायेगा : किसी व्यक्ति का कार्य या श्राचरण संतोषजनक न रहा हो तो वह,---
 - (क) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो उसे उसकी मेवाग्रों से अलग कर सकता है;

- (ख) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती से अन्यशा नियुक्त किया गया होती,
 - (i) उसे उसके पूर्व पट पर प्रतिवर्तित कर सकता है; या
 - (ii) उसके संबंध में ऐसी रीति में कार्रवाई कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के नियम्धन तथा जते अनुवात करें :
- (3) दिसी व्यक्ति को परिवोक्ता शबधि पूरी होने पर, नियुक्ति पाबिकारी,-
- (क) यदि उनकी राय में उनका कार्य तथा बाचरण मन्तोबजनक रहा हो तो,--
 - (i) ऐसे व्यक्ति हो, यदि वह फिसी स्थाई रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो. तो निवित्व की लिखि से पुष्ट कर सकता है ; वा
- (ii) वैसे व्यक्ति की, यदि वर्रिसी ग्रस्थायी रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो तो, स्थाई रिक्ति होने की विधि से पुष्ट कर सकता है; या
- (iii) यदि कोई स्थाई रिक्ति न हो, तो घोषित कर सकता है कि उसने अपनी परिवीक्षा-अविच मन्तोषजनश हंग से पर्ण कर ली है ; या
- (ख) यदि उसका पार्य या श्राचरण उनकी राय में सन्तोषणनक न रहा हो तो,-
- (i) यदि वह नीबी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो उसे उसकी सेवाग्रों ने ग्रालग कर सकता है यदि ग्रान्यशा नियुक्त किया गया हो, उसे उनके पुत्र पर प्रतिवर्तित कर सकता है या उसके सम्बन्ध में ऐसी ग्रन्य रीति में कार्रवाई कर सकता है, जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धन तथा गर्ते अन्जात करें; या
- (ii) उसकी परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकता है और उसके बाद ऐसे आदेश कर सकता है जो वह परिवीक्षा की प्रथम ग्रवधि की समाप्ति पर कर

परन्तु परिवीका की कुल अवधि, जिसमें बढ़ाई गई अवधि भी, यदि कोई है. शामिल है, तीन वर्ष से श्रधिश नहीं होगी ।

11. सेवा के सदस्यों की परस्पर ज्येष्ठता सेवा में किसी भी पद पर उनके लगातार वाकाल के अनुसार निश्चित की जायेगी:

परन्त जहां सेवा में विभिन्न संवर्ग हों वहां ज्येष्ठता प्रत्येक संवर्ग के लिए अलग-

परन्त यह और कि सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में ज्येष्ठता नियत

परन्त यह और कि एक ही तिथि को नियुक्त दो या दो से अधि वा सदस्यों की दशा में, नकी ज्येष्ठता निम्नलिखित अनुसार निश्चित की जायेगी:---

> (क) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्य पदोन्ति या स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से जवेष्ठ होगा ;

ज्येष्ठता ।



- (ख) पदोन्नित द्वारा नियुक्त सदस्य स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य ने ज्येष्ठ
- (ग) पदोन्नित अथवा स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, ज्येष्ठता ऐसी नियुवितयों में ऐसे सदस्यों की ज्येष्ठता के अनुसार निश्चित की जायेगी, जिनसे वे पदोन्नत या स्थानान्तरित किये गये थे;
- (ध) विभिन्त संवर्गों से स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, उनकी उद्येष्टता बेतनको अनुसार निश्चित की जायेगी, अधिमान ऐसे सदस्यों को दिया जाएगा जो अपनी पहले की नियुक्ति में उच्चतर दर पर वेतन ले रहाथा, और यदि मिलने वाले वेतन की दरभी समान हो तो उनकी ज्येष्ठता नियुक्तियों में उनके येवाकाल के अनुसार निश्चित की जाएगी और यदि मेबानाल भी समान हो तो आयु में बड़ा सदस्य छोटे सदस्य से

सेवा एरने का दायित्व।

- 12. (1) सेवा का कोई भी सदस्य, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, हरियाणा राज्य में अथवा उसके बाहर किसी भी स्थान पर, सेवा करने के लिये आदेश दिये जाने पर, ऐसा करने के लिये दायी होगा।
- (2) सेवा के भिक्षी भी सदस्य को नेवा के लिये निम्नलिखित के ग्रधीन भी प्रतिनियुनित किया जा सकता है :--
 - (i) कोई कम्पनी, संगम या व्यष्टि, निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, ि सका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण राज्य सरकार के पास है, हरियाणा राज्य के भीतर, नगर निगम या स्थानीय प्राधिकरण या विश्वविद्यालय ;
 - (ii) केन्द्रीय सरकार या कोई ऐसी कम्पनी संगम या व्यष्टि, निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण कैन्द्रीय सरकार के पास हो ; या
 - (iii) कोई अन्य राज्य सरकार, अन्तर्राष्ट्रीय संगठन, स्वायत निकाय जिसका नियंत्रण सरकार के पास न हो ग्रथवा गैर-सरकारी निकाय :

परन्तु सेवा के किसी सदस्य को उसकी सहमित के विना खण्ड (ii) तथा (iii) में निर्दिष्ट केन्द्रीय या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी संगठन या निकाय में सेवा करने के लिए प्रतिनियुक्त नहीं किया जाएगा ।

वेतन, छुट्टी, पेशन तथा अन्य मामले।

 वेतल, छुट्टी, पेंशल तथा ऐसे सभी अन्य मामलों के संबंध में, जिनका इन नियमों में स्पष्ट रूप से उपबंध नहीं किया गया है, सेवा के सदस्य ऐसे नियमों तथा विनियमों द्वारा नियंत्रित होंगे, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा भारत के संविधान के प्रधीन या राज्य विधान मण्डल द्वारा बनाई गई तथा उस समय लागू किसी विधि के प्रधीन प्रपनाए या बताए गए हों धथवा इसके बाद अपनाए या बताये जायें।

14. (1) अनुशासन, शास्तियां तथा अपीलों से संबंधित मामलों में, सेवा के सदस्य समय-समय पर यथा संशोधित हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तवा अधील) नियम, 1987, द्वारा नियंत्रित होंगे :

HARYANA GOVT GAZ., APRIL 14, 1998

(CHTR. 24, 1920 SAKA)

शास्तियां तथा

परन्तु ऐसी शाक्तियों का स्वरूप, जो लगाई जा सकती हैं, ऐसी शास्तियां लगाने के लिये समावत प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के ग्रयीन बनाई गई किसी विधि श्रथवा नियमों के उपयन्धों के ग्रयीन रहते हुए वे होंगे को इव नियमों के परिशिष्ट "ग" में विनिर्दिष्ट हैं।

(2) हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987 के नियस 9 के धप-नियम (1) के खण्ड (ग) या खण्ड (घ) के अधीन आदेश पारित करने के लिये सक्षम प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी भी वह होगा, जो इन नियमों के परिशिष्ट (भ) में विनिर्दिष्ट हैं।

15. सेवा के प्रत्येक सदस्य से जब भी सरकार किसी विशेष या साधारण आहेश टीका लगवाना। द्वारा ऐसा निर्देश करे, टीका लगवायेगा तथा पुनः टीका लगवायेगा ।

16. सेवा का प्रत्येक सदस्य से जब तक उसने पहले भारत के प्रति तथा विधि ारा राजनिक्ठा की शपथ। यथास्थापित भारत है संविधान है प्रति राजनिष्ठा की शपथ न ले ली हो, ऐसा करने की अपेक्षा की

17. जहां, सरकार ही राय में इन नियमों 🦸 किसी उपबन्ध में ढील देना धावश्यक या उचित हो वहां बह कारण लिखकर, आदेश द्वारा, व्यक्तियों के किसी वर्गया प्रवां के बारे में ऐसा कर सकती है।

18 इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, नियुक्ति प्राधिकारी, यदि वह नयक्ति ग्रारेण में विशेष निबन्धन तथा शर्ते लगाना उचित समझे ना वह ऐसा कर सकता है।

19. इन नियमों में दी गई कोई भी बात राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किए गर्ये अहिंशों के अनुस्तर अनुसूचित जातिया, पिछडे बर्गी, भृतपूर्व सैनिकों, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों ग्रंथवा व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्गको दिये जाने के लिए अपेक्षित आरक्षणों तथा सन्य रियायतों को प्रकाबित न्हीं करेगी:

ग्रायक्षण ।

५रन्तु स प्रकार से किए गए ग्रारक्षण की कुल प्रतिभवता किसी भी समय पचास प्रतिशत मे प्रधिक नहीं होगी ।

20. पंजाब वन अधीतस्य सेवा (लिपिकीय अनुभाग) नियम, 1943, जो इन नियमों के प्रारम्भ से तुरत पहले लागू हैं, इसके द्वारा निरंशित किए जाते हैं :

किरसन तथा व्यावति ।

परन्तु इस प्रकार से निरसित किये गये नियमों के अधीन किया गया कोई आदेश ग्रथवा की गई कार्रवाई इन नियमों के श्रनुरूप उपबन्धों के शर्धान किया गया आदेश या की गई कार्रवाई समझी जाएगी।

46						The second secon		1	2	3	4	5	6
			(à		शिष्ट व नियम		1	12	अनुसंधान अन्वेषक	1-15-0	2	2	1400-40-1600-50-2300- वर्० से० 60-2600 रुपये
bajan nin mi	maganajanajanajanajanajanajanajanajanajan		ों की संख	o a code ou c		वेतनमान	and the second control of the second	13	सिनेमा सहायक	Ī	stead bond	Ī	1200-30-1500-द० रो० -40-2040 स्पर्धे
ऋम संख्या	पदनाम	 स्थाई	ग्रन्था		जोड़ वोड़	Andrew of the control	ingli in 1	4	मैकेनिक	5	Name	5	1200-30-1500-द० रोक -40-2040 स्पर्धे
minimum 1	and another level level level level and another level are level level.	and hing and bond have	3	4	5	6	-1905000	5	चालक	1.00	36	46	1200-30-1500-इ० रोल-40-2040
1	परिमण्डल मुख्य प्राह्मय	ार	-	2	2	2000 -60-2300-द ह्वयो	1	6	ट्रैक्टर नालक	27	49	76	रुपये 1200~30~1500~द० रो० ~40~2040 रुपये
2	नायब तहसीलदार		1	E #	1	2000-60-2300-F 東中草	.71	7	सहायक मुख्य प्रचार		1	1	1200-30-1500-30 from 40-2040
3	तकनीकी सहायक		1	lands and	Ĩ	1640 (6) 2600 -द स्पर्ये	1	8	ग्रधिकारो संगणक	1		1	रुपये 950-20-1150-दर रोर-35-1500
4	मण्डलीय वन प्रचार ग्र	विकारी		2		१ 640 - 60 - 2600 - 1 हमसे		9	मर्वेक्षक	1		1	रुपये 950-20-1150-द० रोल-25-1500 रु ⁷ ये
5	सांख्यिकीय सहायक			7	7	7 1600-50-2300 र रूपये	zo 710 60-2600		<i>ट्रेस</i> र •	2		2	950~20~1150~इ॰ रॉ॰~35~1500 रुपये
6	प्रारूपकार एवं सर्वेक्षय	7	1		1	1 1400 ·40 ·1500···	50-2300-द० रोज्	1	टयूबदैल आप्रेटर	1 1	(mail: 10)		950-20-1150-द० सी०-: 5-1500 व्यये
7	मुख्य मैकेनिक		Ī			1 1400-40-1500- 60-2600 হ্লী	·50-2300-50 To 22	2	टपूबवैल मैकोनिक	.5	-	3	956201150द० री०251500 स्पर्धे
8	उन क्षानूनगो		3	2		5 1400-40-1600- 60-2600 हवरे	·50·2300-50 रो०- 2:	3	वन पटवारी	6	6	12	950-20-1150-द्र० से०:51500 रुपये
,	9 प्रारुपकार		ลิ	5	1	০ 1400-40-1500 ৫০-2600 কাই	-50-2300-₹0 ₹10- 2	4	सीमाकन पर्यवेक्षतः	3	* 4-4	3	950201150-द० रोज25:500 रुपये
1	0 कलाकार ∮			1			50-2300-द० राज्य 2	5	सीमोबन दरोगा	1	elgió	1	950-20-1150-द० ची० -25-150) रुपये
1	1 फोटोग्राफर		Sad to od	1		1 1400-40-1600 60-2600 57	0-50 2300-50 TO H 2	6	रैस्टोरर		i	i	950-20-1150-न० रो०-25-1500 स्पर्ये

		(011111 21)		1 2	3	Thie! Conservation Of Forests 4 of adjusting Harrison
		परिशिष्ट ख		<u> </u>	3	Panchicis
		(देखिए नियम	7)	3 तकनीकी सहायक	and how	(1) पदोन्नित द्वारा
 赤 ギ	पदनाम	सीबी भर्ती के लिए ग्रैक्षणिक प्रहेताएं	सीधी भर्ती के ग्रन्थवा नियुक्त के लिए			गांस्थिकीय सहायक के रूप में तीन वर्ष का धनुभव ;या
संख्या	isur तथा ग्रनुभव, यदि कोई हो शैक्षणिक हो ।		शैक्षणिक म्रर्हताएं तथा म्रनुभव, यदि गो∜ हो ।			(३) स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा-
1	e, y wast land gast ann sant sant sant land land land land ann	Substitution of the state of th	4			(i) अर्थ शास्त्र/कृषि अर्थशास्त्र/गणित वाणिज्य में मास्टर की डिग्री और जिसमे
	परिमण्डल मुख्य प्रारूपकार		(1) पदोन्ति द्वारा			सांख्यिकीय मास्टर डिग्री या अर्थ शास्त्र / गणित/विज्ञान/कृषि विज्ञान में ग्रानसँ डिग्री में एक विषय रहा हो ;
		प्रारुपकार के रूप में दस वर्ष का ग्र नुभव ; (2) स्थानान्तरण अथवा प्रतिनिश्विक्त हारा~		(ii) सांख्यिकीय सहायक के रूप में पांच वर्ष का ग्रम भव ;		
			(i) ग्रौद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ग्रथवा िसी मान्यता प्राप्त संस्थान से वास्तुकला			(iii) दसवीं स्तर तक हिन्दी का ज्ञान।
			सहायक्ष में डिप्लोमा ग्रथवा राष्ट्रीय व्यापार प्रमाण-पक्ष (सिविल)	। मण्डलीय वन प्रचार ग्रधिकारी	ग्रथवा इसके समकक्ष किसी संस्थान से	(1) स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा-
			(ii) प्रारूपकार के रूप में 12 वर्ष का अनुभव ;		बी० ए०/बी० काम या इसके समकक्ष ;	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा इसके समकक्ष किसी संस्थान मे
			(iii) इसवीं स्तरतकहिन्दी का ज्ञान।		ग्रथवा संस्थान से जन संचार में	य बी० ए०/बी० काम या इसके समकक्ष ;
2	नायब तहसीलदार		(1) पदोन्नति हारा—		डिप्लोमा ;	(ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयअथवा संस्थान से जन संचार में डिप्लोमा;
			वन जानूनगों के रूप में पांच वर्ष का अनुभव ;		(iii) दसवी स्तर तक हिन्दी का ज्ञान	(iii) मण्डलीय प्रचार अधिकारी के रूप में
			(2) स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारान			पांच वर्ष का ग्रनुभव ;
			 (i) सीमांकन पर्ववेंक्षक, सीमांकन दरोगा या पटवारी के रूप में 10 वर्ष का अनुभव; 			(iv) दसवीं स्तर तक हिन्दी का ज्ञान।
			(ii) पटवार प्रशिक्षण विद्यालय हरियाणा	सांख्यकीय सहायक	(i) अर्थ शास्त्र/कृषि अर्थ शास्त्र गणित/ वाणिज्य में मास्टर की डिग्री ग्रीर जिस्से	μ̃ !
			सरकार या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से पटवार प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र ;		सांख्यिकीय मास्टर डिग्री या ग्रर्थ शास्त्र/ गणित/विज्ञान/कृषि में ग्रानर्स डिग्री	अनुसंधान अनुवेषक के रूप में तीन वर्ष का
			(iii) दसबीं स्तरतक हिन्दी का जान।		में एक विषय रहा हो ;	श्रनुभव ;
			The state of the s			

 (ii) दसवीं स्तर तक हिन्दी का ज्ञान । (2) न्यानास्तरण या वितिन्युवित द्वारा— वन कान्यगो (1) पदोन्निन द्वारा----(i) अर्थ आस्त्र/कृषि, अर्थ शास्त्र/गणित/ वाणिज्य में मास्टर की डिग्नी श्रीर जिसमें पटवारी/मीमांकन पर्यवेकक/सीमांकन दरोगा गासियकीय मास्टर डिग्री या अर्थ णास्त्र/ के रूप में सात वर्ष का अनुभव ; गणित/विज्ञात/भूषि विज्ञान में आनसं (2) स्थानान्तरण ग्रथवा प्रतिनिय्का डिग्री में एस विषय रहा हो ; (ii) अनुसंधान ग्रन्थेटल वं स्थान पाच हारा--वर्षका अनुभव । (i) भिसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय, (iii) दसवीं सार तथ हिन्दी या ज्ञान । विद्यालय शिक्षा बोर्ड या संस्थान मे (1) पदोन्नित हारा---दसवीं या इसके समकक्ष ; 6 प्राम्पकार एवं सर्वेशक मर्बेक्षव के रूप में पांच वर्ष का अनु भव ; या (ii) पटवार प्रशिक्षण विद्यालय, हरियाणा (2) स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा-गरकार या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान (i) ग्रीद्योगिक प्रियाण संस्थान या किसी मे पटवार प्रशिक्षण प्रमाण-पत ; मान्यवा प्राप्त संस्थान मे प्रारमकार (iii) पटवारी केपद पर दस वर्षका (सिविल) के लिये राष्ट्रीय व्यापार अनुभव ; प्रमाण-पत् ; (ii) सर्वेक्षक वे रूप में सात वर्ग का अनुभव 📔 (iv) दसवीं स्तर तक हिन्दी का ज्ञान। (i) ग्रोद्यौगिक प्रशिक्षण संस्थान ग्रथवा (1) पदोन्नित द्वारा---(iii) दमवीं स्तरतक हिन्दी का ज्ञान। प्रारूपकार किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से वास्तु- (i) ट्रेसर के रूप में पांच वर्ष का अन्भव ; (1) पदोन्नित द्वारा; कला सहायक में डिप्लोमा ग्रथवा 7 मुख्य मैकेनिक मैकेनिक के रूप में सात वर्ष का अनुभव ;या राष्ट्रीय प्रारूपकार व्यापार प्रमाण-पत (2) स्थानान्तरण ग्रथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा-(ii) दसवीं तक हिन्दी का ज्ञान। (2) स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा-(i) ग्रोद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या किसी ग्रन्य मान्यताप्राप्त संस्थान मे (i) ग्रौद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या किसी मोटर मैकेनिक ग्रथवा फिटर का राष्ट्रीय मान्यताप्राप्त संस्थानसे प्रारूपकार (सिविल) के लिये राष्ट्रीय व्यापार प्रमाण-पत ; ध्यापार प्रमाण-पत ; (ii) मैकेनिक के रूप में सात वर्ष का (ii) ट्रेसर के रूप में सात वर्ष शा अनुभव ; अनुभव ; (iii) किसी प्रसिद्ध वर्कशाप में तीन वर्ष (iii) दसवीं स्तर तक हिन्दी का ज्ञान। का ग्रनुभव ; (iv) दसवीं स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ;

1 2	3	4	2	3	4
1 2 10 कलाकार 11 फोटोग्राफर	(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय (णिक्षा वोर्ड अयवा संस्थान में इंटर मीडिएट/10+2 अथवा इसके (समकक्ष ; (ii) राज्यकीय कला महाविद्यालय या (किसी अन्य मान्यताप्राप्त संस्थान अथवा अद्योगिक प्रणिक्षण संस्थान से लिन्त कला में डिग्री ; (iii) इनवीं स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ।	i) रिक्ष्मी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/ विद्यालय/ वि	श्रनुसंधान अन्वेषः सिनेमा सहायक	nakantual mahada ekuntualundu di saki artu di saki artu ekuntu ekuntu ekuntu ekuntu ekuntu ekuntu ekuntu ekunt T	(1) पदोन्नित द्वारा,—— संगणक के रूप में पांच वर्ष का अनुभव ; या (2) स्थानान्तरण अथवा द्वारा,—— (i) हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड अथवा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान गे द्वितीय श्रेणी में दसवीं या इसके समक्था, (ii) संगणक में डाटा एंटरी आपरेटर के रूप में संगणना मशीन चलाने का जान ; (iii) संगणक के रूप में सात वर्ष का अनुभव; (iv) दसवीं स्तर तक हिन्दी का जान । (1) स्थानान्तरण अथवा प्रतिनिधृक्त,—— द्वारा,—— (i) मुख्य विजली निरीक्षक, हरियाणा सरकार अथवा किसी अन्य मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा दिया गया सिनेमाटोग्राफ की व्यवस्था अथवा परिचालन की क्षमता रखने सम्बन्धी प्रमाण-पत ; (ii) सिनेमा आपरेटर के रूप में 3 वर्ष का अनुभव; (iii) सभी प्रकार के फिल्म प्रोजैक्टर एपीडियास्कोप, टेप रिकार्डर, जनरेटिंग सैट, रिकार्डकें जर और एम्पलीफायर के संचालन का वार्य चालन जान ; (iv) दसवी स्तर तक हिन्दी का जान । ट्रैक्टर चालक, नलकूप चालक के रूप में
	दा अनुभव को प्रमाण-भव , (iv) दसवीं स्तर तक हिन्दी का ज्ञा			मोटर ाैकेनिक अथवा फिटर का राष्ट्रीय व्यापार प्रमाण-पत्न ; (ii) किसी प्रसिद्ध वर्कशाप में तीन वर्ष (iii) दसवी तक हिन्दी का ज्ञान।	•

				1	2	3	4
1	2	3	A de standard bret and another one tred and and tred bret bret and are tred and the standard and tred bret bret bret and tred and tred and tred bret bret bret bret bret bret bret bret		द्रैसर	(i) ग्रोद्यौगिक प्रशिक्षण संस्थान या	(1) स्थानान्तरण ग्रथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा- (i) ट्रेसर के रूप में पांच वर्ष का अनुभव ;
5 चालक	ng mag had had had h	(i) आठवीं पास ; ((ii) हत्का यातायात वाहन चलाने का लाईसैंस ; (iii) पट्टोल, इलैंक्ट्रीकल, डीजल इंजन संचालन का कार्यचालन जान	 हैवटर चालव/क्वीनर या गुप का ना है। के हप में पांच वर्ष का अनुभव जिसमे पांच हल्का यातायात वाहन चलाने का बातिक हो। 			किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रारूपकार (सिविल) के लिये राष्ट्री व्यापार प्रमाण पत्न ; (ii) दसवीं स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ।	(1) ट्रसरक रूप म पाच वर्ष का अनुनय , (ii) क्रोद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रारूपकार (सिविल) के लिये राष्ट्रीय व्यापार प्रमाण-पत्न ; (iii) दसवीं स्तरतक हिन्दी का ज्ञान।
16 ट्रैक्टरच	ालक	(iV) हिन्दी पढ़ तथा लिख सकता ह	ो । 1. पदोन्नित ढारा,— 1) वर्लीनर वे रूप में पांच वर्ष का अनुभाग,ण (ii) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान प ट्रैवटर ड्राईविंग लाईसैंस ; (iii) पैटोल, डीलल, इलैक्ट्रीकल पानी	21	टयूबवैल ग्राप्रेटर	 (ii) बोबोगिक प्रशिक्षण संस्थान या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान ये मोटर मैकेनिक या फिटर का राष्ट्र व्यापार प्रमाण पत्र ; (iii) किसी प्रसिद्ध फर्म ब्रौर संगठन 	(iii) ब्रोद्यौगिक प्रशिक्षण संस्थान या किसी भान्यता प्राप्त संस्थान हे मोटर मैकेनिक
17 सहायः प्रचारः	क मुख्य ऋचिकारी	 (i) किसी भारता प्राप्त विष्य- विधालय प्रथवा इसके समकक्ष संस्थान से बी.ए./बी.काम. या इसके समकक्ष ; (ii) दसवीं स्तर तक हिन्दी का ज्ञान 	के संवालन का कार्यवालन शाल (1) स्थानाकरण अथवा प्रतिनिधी हारा, (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा इसके समकक्ष संस्थान में बी. ए. बि हाम या इसके समकक्ष ह		*	में टयूबबैल ईंशन ग्रौर पम्पिंगसै चलाने कादो वर्षका अनुभव ; (iv) हिन्दी पढ़तथा लिख सकताहो	प्रमाण-पत्न ; (iv) किसी प्रसिद्ध फर्मग्रीर संगठन में ट्यूबवैल ईजन और पम्पिंग सैट चलाने का दो वर्ष का अनुभव ; (v) आठवीं स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ।
18 संगणः	क	 (i) हरियाणा विद्यालय णिक्षा बोर्ड अथवा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान दितीय श्रेणी में दसवी या इसके स (ii) संगणक में डाटा एंटरी आपरेटर के रूप में संगणना मशीन चालन क जान: 	प्रकक्ष (11) हरियाणा विद्यासम्बद्धाः । इत्यंत्रा किसी: मान्यता प्राप्त संस्थान । द्वितीय श्रेणी में दसवी या इसके समक्ष ज्ञान ;		2 टयूबवैल मैकेनि	 (i) आठवीं पास; (ii) ओळीं पिक प्रशिक्षण संस्थान अथवा विसी मान्यता प्रति तंरथ में मेंटर मैं कैनिक या फिटर का राष्ट्रीय व्यापार प्रमाण-पत्र; (iii) किसी प्रसिद्ध फर्म या संगठन में टयुववैल के अनुरक्षण का एक वा 	(ii) श्राटबीं पास; (iii) ब्रोद्यींगिक प्रक्रिशण संस्थान श्रथवा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से मोटर मैकेनिक सा फिटरका राष्ट्रीय व्यापार
19 सर्वे	क्षक सामा प्रव	(iii) दसवी रतर तक हिन्दी का ज्ञान (i) ब्रोझीगिक प्रशिक्षण संस्थान या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान मे प्रारूपकार (सिविल) लिये राष्ट्रीय ब्यापार प्रमाण पत्त (Ii) दसी वस्तर तक हिन्दी का जा	हप में संगणना मधीन चलाने की वि (vi) दसवीं स्तर तक हिन्दी का जान। (i) स्थानान्तरण अथवा प्रतिनिधुविको (i) सर्वेक्षक के रूप में सात वर्ष का अनुभ को (ii) प्रोधींगका प्रशिक्षण संस्थान किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से प्राप्त	11 P	:3 बन पटवारी	प्रमुखका का जु जा कर	 (iv) किसी प्रसिद्ध फर्म खौर संगटन ट्यूबनैल के रख रखाब का एक वर्ष का अनुभव; (v) हिन्दी पढ़ लिख सकता हो। लय/ 1. स्थानान्तरण अथवा प्रतिनिधृतित द्वारा,

	930	J	HARYANA GOVT GAZ., APRI (CHTR 24, 1920 S	(L 14, 1 99 8 AKA)
-	1	2	3	4
	1		 (ii) पटवार प्रशिक्षण विद्यालय, हरियाणा सरकार या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से पटवार प्रशिक्षण प्रमाण-पत्त; (iii) दमवीं स्तर तक हिन्दी का ज्ञान । क (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्व- विद्यालय/विद्यालय शिक्षा वोर्ड अथ संस्थान से दसवीं या इसके समकक्ष 	(iii) पटवार प्रशिक्षण हरियाणा सरकार या प्राप्त संस्थान से पटवार प्रा पत्न ; (iv) दसवीं स्तर तक हिन्दी क 1. स्थानान्तरण ग्रथवा प्रतिनि वा (i) पटवारी के रूप में पांच व ; (ii) किसी मान्यता प्राप्त ह
	25	सीमांकन दरोगा	(ii) पटवार प्रशिक्षण विद्यालय हरियाणा सरकार या किसी मान्यर प्राप्त संस्थान से पटवार प्रशिक्षण प्रमाण-पत्न ; (iii) दसवीं स्तर तक हिन्दी का ज्ञान । (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्याल विद्यालय बोर्ड या संस्थान से दसवीं कक्षा ग्रथवा इसके समकक्ष ; (ii) पटवार प्रशिक्षण विद्यालय	(iii) पटनार प्रशिक्षण विद्य हरियाणा सरकार या किसी संस्थान से पटनार प्रशिक्षण (iv) दसवीं स्तर तक हिन्दी। य/ 1. स्थानान्तरण अथवा प्रति।

हरियाणा सरकार या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से पटवार प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र ;

(iii) दसवीं स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ।

26 रैस्टोरर

स्थान से दसवी

विद्यालय, किसी मान्यता रशिक्षण प्रमाण-

का ज्ञान।

नियुक्ति द्वारा,-वर्ष का अनुभव ;

विश्वविद्यालय, ांस्थान से शिक्षा ;

द्यालय, ि मान्यता प्राप्त ण प्रमाण-पत्न ;

का ज्ञान।

तनियुक्ति द्वारा,-वर्ष का ग्रनुभव ;

विश्वविद्यालय/ दसवीं ग्रथवा इसके समकक्ष ;

(iii) पटवार प्रशिक्षण विद्यालय, हरियाणा सरकार या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में पटवार प्रशिक्षण प्रमाण-

(iv) दसवीं स्तर तक हिन्दी का ज्ञान।

(1) पदोन्नित द्वारा,---दफ्तरी के रूप में तीन वर्ष का अनुभव ;

(2) स्थानान्तरण ग्रथवा प्रतिनियुक्ति

(i) दफतरी के रूप में 10 वर्ष ना अनुभव;

(ii) रैस्टोरर के रूप में पांच वर्ष का अनुभव;

(iii) दसबीं स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ।

परिशिष्ट ग

[देखिए नियम 14 (1)]

ऋ ष संख्य	ं पक्ष नाम गु	ति गुक्ति प्राधिकारी		शास्ति लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी	ग्रपील प्राधिकारी	दितीय तथा अन्तिम श्रपील प्राधिकारी यदि कोई हो
1	2	3	4	5	6	7
į		वन संरक्षक (र (i: (iii	. छोटी शास्तियां i) वैयन्तिक, फाईल (श्राचरण पंजी) पर प्रति रखते हुमें चेतावनी; i) परिनिन्दा; i) पदोन्नित रोकना;) श्रादेशों को उपेक्षाया उल्लंघन द्वारा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार य या ऐसी कम्पनी तथा संगम् या व्यष्टि निकाय चाहे वह निगमित हो या नहीं जिसव पूर्ण या श्रधिकांश स्वामित्व या नियन्त्वण सरकार से पा है या संसद या राज्य विधान मण्डल के श्रधिनियम द्वारा स्थापित किसी स्थानीय प्राधिकरण या विश्वविद्याल	त स त	/ श्रपरश्रधान् मुख्य वन संरक्षक	
13	सिनेमा सहाय क		को हुई धन सम्बन्धी हानि व पूरी या उसके भाग की बेत			
14	मैके निक		मे वसूली ; ग्रौर			
15	चालक	(♥)	संचयी प्रभाव के बिना			
16	ट्रैक्टर चालक		वेतन वृद्धियां रोकना ;			
17	सहायक मुख्य		शास्तियो—	प्रधान मुख्य	सरकार	
	प्रचार श्रधिकारी	(V1)	संचयी प्रभाव से वैतन वृद्धिया रोकना ।	वन संरक्षक		

26 रैस्टोरर

1 2 3 4 5 6

18 संगणक
19 सर्वेक्षण
20 ट्रेसर
21 ट्यूबैबैल आफ्रेंटर
22 टबबैबैल मैकेनिकः
23 वन पटवारी
24 सीमांक्षन प्रयेचेक्षकः

एच० बी० दिसोदिया,

श्रायुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार, बन विभाग। [Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

FOREST DEPARTMENT

Notification

The 29th January, 1998

No. G. S. R. 33/Const./Art. 309/98.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules regulating the recruitment and conditions of service of persons appointed to the Haryana State Forest Department (Group C) Miscellaneous Section Service, namely:—

PART I-GENERAL

1. (1) These rules may be called the Haryana Forest Department (Group C) Miscellangous Section Service Rules, 1998.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In these rules, unless the context otherwise requires,-

- (a) "Additional Principal Chief Conservator" means Additional Chief Conservator of Ferests, Haryana;
- (b) "Commission" means the Staff Selection Commission, Haryana;
- (c) "Chief Conservator" means the Chief Conservator of Forests, Haryana;
- (d) "Conservator" means Conservator of Forests Haryana;
- (e) "direct recruitment" means an appointment made otherwise than by promotion from within the Service or by transfer of an official already in the service of the Government of India or any State Government;
- (f) "Government" means the Haryana Government in the Administ ative Department;
- (g) "institution" means,-
- (i) any institution established by law inforce in the State of Haryana; or
- (ii) any other institution recognized by the Government for the purpose of these rules;
- (h) "Principal Chief Conservator" means Principal Chief Conservator of Forests, Haryana;
- (i) "recognised university" means,-
 - (i) any University incorporated by law in India; or
 - (ii) in the case of a degree, diploma, or certificate obtained as a result of an examination held before the 15th August, 1947, the Punjab, Sind or Ducca University; or
 - (iii) any other University which is declared by the Government to be a recognised University for the purpose of rules;
- (i) "Service" means the Haryana State Forest Depa tment (Group-C) Miscellaneous Section, Service.

Short title and commencement.

Definitions.

PART II—RECRUITMENT TO SERVICE

Number and Character of posts. The Service shall comprise the posts shown in Appendix A littlese rules:

Provided that nothing in these rules shall affect the inherent first of the Government to make additions to, or reductions in, the number of such posts or to create new posts, with different designations and seed of pay, either permanently or temporarily.

Nationality, domicile and character of candidates appointed to the service.

- 4. (1) No person shall be appointed to any post in the Sarylov unless he is.—
 - (a) a citizen of India; or
 - (b) a subject of Nepal; or
 - (c) a subject of Bhutan; or
 - (d) a Tibetan refugee who came over to India before the lates of January, 1962, with the intention of permanently sculing in India; or
 - (e) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan Burma, Sri Lanka, or any of the East African countriof Kenya, Uganda, and the United Republic of Tanzan (formerly Tanganyika and Zanzibar) Zambia, Malaw Zaire and Ethiopia with the intention of permanent settling in India:

Provided that a person belonging to any of the categories (b), (d) and (e), shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government.

- (2) A person in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to an examination or interview conducted by the Commission, but the offer of appointment may be given on after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Government.
- (3) No person shall be appointed to any post in the Service by directuitment, unless he produces a contificate of character from the Principal Academic Officer of the University, College, School or Institution latended, if any, and similar certificate from two other responsible persons, not being his relatives, who are well acquainted with him his private life and are unconnected with his University, College, School of Institution.

Age.

5. No person shall be appointed to any post in the Service by direction of any of the service by direction of any of a policy of a poli

Appointing authority.

Appointments to the posts in the service shall be made the Principal Chief Conservator of Forests,

7. No person shall be appointed to any post in the Service, unless he is in possession of qualifications and experience specified in column 3 of Appendix B to these rules in the case of direct recruitment and those specified in column 4 of the aforesaid Appendix in the case of appointment other than by direct recruitment:

Provided that in the case of appointment by direct recruitment, the qualifications regarding experience shall be relaxable to the extent of 50% at the discretion of the Commission in case sufficient number of candidates belonging to Scheduled Castes, Backward Classes, Ex-servicemen and Physically Handicapped Categories, possessing the requisite experience, are not available to fill up the vacancies reserved for them, after recording reasons for so doing in writing.

8. No person,-

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person shall be eligible for appointment to any post in the Service;

Provided that the Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for 30 doing, exempt any person from the operation of this rule.

9. (1) Recruitment to the Service shall be made -

- (a) in the case of Circle Head Draftsman -
 - (i) by promotion from amongst Draftsman: or
 - (ii) by transfer or deputation of an officer/official already in the service of any State Government or the Government of India:
- (b) in the case of Naib Tehsildar,-
- (i) by promotion from amongst the Forest Kanungo; or
- (ii) by transfer or deputation of an officer/official already in the service of any State Government or the Government of India;
- (c) in the case of Technical Assistant -
- (i) by promotion from amongst the Statistical Assistant;
- (ii) by transfer or deputation of an officer/official already in the service of any State Government or the Government of India;

Qualifications.

Disqualifications.

Method of recruitment.

- (d) in the case of Divisional Forest Publicity Officer,-
- (i) by direct recruitment; or
- (ii) by transfer or deputation of an officer/official already in the service of any State Government for the Government of India;
- (e) in the case of Statistical Assistant,-
- (i) 50% by promotion from amongst the Research Investigator and
- (ii) 50% by direct recruitment; or
- (iii) by transfer or deputation of an officer/official already in the service of any State Government or the Government of India;
- (f) in the case of Draftsman-cum-Surveyor,-
- (i) by promotion from amongst the Surveyors. or
- (ii) by transfer or deputation of an officer/official already in the service of any State Government or the Government of Ind'a
- (g) in the case of Head Mechanic,-
 - (i) by promotion from amongst the Mechanic;
 - (ii) by transfer or deputation of an officer/official already in the service of any State Government or the Government of India.
- (h) in the case of Forest Kanungo,-
- (i) by promotion from amongst the Patwaris, Demarcation Supervisor, or Demarcation Daroga;
- (ii) by transfer or deputation of an officer/official already in the service oft any State Government or the Government of India;
- (i) in the case of Draftsman,-
- (i) 50% by promotion from amongst Tracers; and
- (ii) 50% by direct recruitment; or by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India;

- (j) in the case of Artists,—(i) by direct recruitment; or
- (ii) by transfer or deputation of an officer/official already in the service of any State Government or the Government of India;

- (k) in the case of Photographer,-
- (i) by direct recruitment; or
- (ii) by transfer or deputation of an officer/official already in the service of any State Government or the Government of India;
- (1) in the case of Research Investigator,-
- (i) by promotion from amongst the Computers; or
- (ii) by transfer or deputation of an officer/official already in the service of any State Government or the Government of India;
- (m) in the case of Cinema Assistant,-
- (i) by direct recruitment; or
- (ii) by transfer or deputation of an officer/official already in the service of any State Government of India;
- (n) in the case of Mechanic,-
- (i) by promotion from amongst the Tractor Drivers, or Tubewell Operators; or
- (ii) by direct recruitment; or
- (iii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India;
- (o) in the case of Driver,-
- (i) by promotion amongst the Tractor Drivers, Cleaners or Group D employees in the Forest Department;
- (ii) by direct recruitment; or
- (iii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India;

- (p) in the case of Tractor Driver,-
- (i) 50% by promotion from amongst Cleaners; and
- (ii) 50% by direct recruitment; or;
- (iii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India;
- (q) in the case of Assistant to Chief Publicity Officer,—
- (i) by direct recruitment; or
- (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government cf India;
- (r) in the case of Computer,-
- (i) by direct recruitment; or
- (ii) by transfer or deputation of an official already in the sorvice of any State Government or the Government of India;
- (s) in the case of Surveyor,-
- (i) by direct recruitment; or
- (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India;
- (t) in the case of Tracer,-
- (i) by direct recruitment; or
- (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India;
- (u) in the case of Tubewell Operator,-
- (i) by direct recruitment; or
- (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Covernment of India;
- (v) in the case of Tubewell Mechanic,-
- (i) by direct recruitment; or
- (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India;

- (w) in the case of Forest Patwari.-
- (i) by direct recruitment; or
- (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India;
- (.:) in the case of Demarcation Supervisor,---
- (i) by direct recruitment: or
- (ii) by transfer or deputation of an official already in the sorvice of any Stare Government or the Government
- (y) in the case of Demarcation Daroga,-
 - (i) by direct requirement; or
- (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India;
- (z) in the case of Restorer .-
- (i) by promotion from amongst the Daftries; or
- (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government on the Government of India;
- (2) All promotions unless otherwise provided shall be made on seniority-cum-merit basis and seniority alone shall not confer any right to such promotions.
- 10. (1) Persons appointed to any post in the service shall remain on probation for a period of two years, if appointed by direct recruitment, and one year, if appointed otherwise

Provided that --

- (a) any period, after such appointment, spent on deputation on a corresponding or a higher post shall count towards the period of probation ;
- (b) any period of work in equivalent or higher rank prior to appointment to any post in the Service may, in the case of an appointment by transfer, at the discretion of the appointing authority, be allowed to count towards the period of probation fixed under this rule; and

Seniority.

- (e) any period of officiating appointment shall be reckoned as period spent on probation, but no person who has so officiated shall, on the completion of the proscribed period of probation, be entitled to be confirmed, unless he is appointed against a permanent vacancy.
- (2) If, in the opinion of the appointing authority, the work or conduct of a person during the period of probation is not satisfactory, it may,—
 - (a) if such person is appointed by direct recruitment, dispense with his services; and
 - (b) if such person is appointed otherwise than by direct recruitment,—
 - (i) revert him to his former post; or
 - (ii) deal with him in such other manner as the terms and c .nditions of the previous appointment permit.
- (3) on the completion of the period of probation of a person, the appointing authority may,—
 - (a) if his work or conduct has, in its opinion, been satisfactory. -
 - (i) confirm such person from the date of his appointment, if appointed against the permanent vacancy; or
 - (ii) confirm such person from the date from which a permanent vacancy occurs, if appointed against a temporary vacancy; or
 - (iii) declare that he has completed his probation satisfactorily, if there is no permanent vacancy; or
 - (b) if his work or conduct has in its opinion, been not satisfactory,—
 - (i) dispense with his Services, if appointed by direct recruitment, if appointed otherwise, revert him to his former post or deal with him in such other manner, as the terms and conditions of his previous appointment permit; or
 - (ii) extend his period of probation and thereafter pass such order, as it could have passed on the expiry of the first period of probation:

Provided that the total period of probation, including extension, if any, shall not exceed three years.

52

11. Seniority, inter se of the members of the Service shall be determined by the length of continuous service on any post in the Service:

Provided that where there are different cadres in the Service, the seniority shall be determined separately for each cadre:

Provided further that in the case of members appointed by direct recruitment, the order of merit determined by the Commission shall not be disturbed in fixing the seniority:

Provided further that in the case of two or more members appointed on the same date, their seniority shall be determined as follows:—

- (a) a member appointed by direct recruitment shall be senior to a member appointed by promotion or by transfer;
- (b) a member appointed by promotion shall be senior to a member appointed by transfer;
- (c) in the case of a member appointed by promotion or by transfer, seniority shall be determined according to the seniority of such members in the appointments from which they were promoted or transferred; and
- (d) in the case of members appointed by transfer from different cadres, their seniority shall be determined according to pay, preferance being given to a member, who was drawing a higher rate of pay in his previous appointment; and if the rates of the pay drawn are also the same, then by the length of their service in the appointment; and if the length of such service is also the same, the older membershall be senior to the younger member.
- 12. (1) A member of the Service shall be liable to serve at any place, whether within or outside the State of Haryana, on being ordered so to do, by the appointing authority.
 - (2) A member of the Service may also be deputed to serve as under-
 - (i) a company, an association or a body of individuals whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the State Government, a municipal corporation or a local authority or university, within the State of Haryana;
 - (ii) the Central Government or a company, an association or a body of individuals, whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the Central Government; or
 - (iii) any other State Government, an international organisation, an autonomous body not controlled by the Government or a private body:

Provided that no member of the Service shall be deputed to serve the Central or any other State Government or any organisation or body referred to in clause (ii) or clause (iii) except with his consent.

Liability te

pension and other matters,

13. In respect of pay, leave, pension and all expressly provided for in these rules, the members be governed by such rules and regulations as may hereafter be, adopted or made by the competent or made by the State Legislature.

Discipline, panulties and App als.

14. (1) In matters relating to discipline, penalties and appeals the members of Service shall be governed by the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 1987 as amended from time to time:

Provided that the nature of penalties which may be imposed the authority empowered to impose such penalties and appellate authority shall, subject to the provisions of any law or rules made under article 309 of the Constitution of India, be such as are specified in Appendix C to these rules.

(2) The authority competent to pass an order under clause (c) of clause (d) of sub-rule (l) of rule 9 of the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 1987, and appellate authority shall be as specified in Appendix D to these rules.

V ccination.

15. Every member of the Service shall get himself vaccinated and re-vaccinated as and when the Government so directs by a special or general order.

Oath of allegiance.

16. Every member of the Service, unless he has already done so, shall be required to take the oath of allegiance to India and to the Constitution of India as by law established.

Power of relaxa-

17. Where the Government is of the opinion that it is necessary of expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

Special provision.

18. Notwithstanding anything contained in these rules, the appointing authority may impose special terms and conditions in the order of appointment if it is deemed expedient to do so.

Reservations.

19. Nothing contained in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for Scheduled Castes, Backward Classes, Other Backward Classes, Ex-servicemen, physically handicapped persons or any other class or category of persons in accordance with the orders issued by the State Government in this regard, from time to time;

Provided that the total percentage of reservations so made shall not exceed fifty per cent, at any time.

Repeal and Saving.

20. The Punjab Forest Subordinate Service (Ministerial Section) Rules, 1943, which are in force immediately before the commencement of these rules, are hereby repealed:

Provided that any order made or action taken under the rules, so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

APPENDIX A

(See rule 3)

Sr.	Designation of	Number	of posts			Scale of Pay			
No.	posts	Perma- nent	Tempo- rary	Total					
1	2	3	4		5	6			
Г						Rs.			
1	Circle Head Draftsman	_	2		2	2000—60—2300—EB—75— 3200			
2	Naib Tehsildar	1	_		1	2 000—60— 23 00—EB—75—3200			
3	Technical Assistant	1	_		1	1640—60—2600—EB—75- 2900			
4	Divisional Forest Publicity Officer	-	. 2		2	1640—60—2600—EE—75 2900			
5	Statistical Assistant	_	. 7		7	1640—50—2300—EB—60— 2600			
6	Draftsman-cum- Surveyor	1	_		1	1400—40—1600—50—2300 EB—60—2600			
7	Head Mechanic	1	-		1	1400—40—1600—50— 2300—EB—60—2600			
8	Forest Kanungo	3	2		5	1400—40—1600—50— 2300—EB—60—2600			
9	Draftsman	5	5		10	1400—40—1600—50— 2300—EB—60—2600			
10	Artist	-	- 1		1	1400—40—1600—50— 2300—EB—60—2600			
11	Photographer	-	_ 1		1	1400—40—1600—50— 2300—EB—60—2600			
12	Research Investiga- tor	-	_ 2		2				
-					-				

HARYANA GOVT GAZ. APRIL 14, 1998 (CHTR 24, 1920 SAKA)

HARYANA C	TVO	GAZ.,	APRIL.	14,	1998	
(CH)	TR 24	,1920	SAKA)			

916

		(CHT	R 24, 1920	DANA)	
1	2	3	4	5 6	
13	Cinema Assistant	1		1 1200—30—1500— 2040	-EB40 Sr. No
14	Mechanic	5	<u>-11-</u>	5 1200—30—1500— 40—2040	-EB
15	Driver	10	36	46 1200—30—1500— 40—2040	-EB
16	Tractor Driver	27	49	76 1200—30—1500— 40—2040	-El
17	Assistant to Chief Publicity Officer	-	1	1200—30—1500— 40—2040	-F B →,
18		1		950—20—1150- 1500	-EB25-
19	Surveyor	1	-	1 950—20—1150— 1500	-EB25-
20) Tracer	2	_	2 950—20—1150— 1500	-EB25-
2	1 Tubewell Operator	11	_	11 950—20—1150 1500	—EB—25—
22	2 Tubewell Mechanic	3	_	3 950—20—1150— 1500	_EB—25—1 2
2	3 Forest Patwari	6	6	12 950—20—1150- 1500	-EB-25-
2	4 Demarcation Supervisor	3		3 950—20—1150- 1500	_EB25_
2	5 Demarcation Daroga ;	1	_	1 950—20—1150- 1500	_EB—25—
2	6 Restorer	-	Ĭ	1 950—20—1150- 1500	_EB—25—

APPENDIX B

		(See rulo 7)	
	r. Designation No. of Posts	Academic qualifications and experience, if any, for direct recruitment	Act demic qualifier from and experience, if any, for appointment other than by direct recruitment
	2	3	4
3-4	1 Circle Head Draftsman		(1) By Promotion— 10 years experience as Draftsman.
B25-		,	(2) By transfer or deputation— (i) Diploma in architecture Assistantship; or National Trade cortificate for Draftsman (Civil) from Industrial Training Institute or from a Recognised Institute;
3—25—			(ii) 12 years experience as Draftsman ;
EB25			(iii) Knowledge of Hindi up- to matric standard.
3-25-	2 Naib Tehsildar	_ ,	(1) By Promotion —
B—25—			5 years Eexperience as Forest Kanungo.
B25-			(2) By transfer or deputation—
B-25-			(i) 10 years experience as Demarcation Supervisor, Demarcation Daroga or Patwari;
В—25—			(ii) Certificate of Patwar Training from Patwar Training School of Government of Haryana or from recognised institute;
			(iii) Knowledge of Hindi upto matric standard.

917		HARYANA GOVT GAZ. APRIL (CHTR 24, 1920 SAKA)	14, 1998	I	IARYANA G	OVT GAZ. APRIL 14,	1998 (CHT	R 24, 1920 SAKA	919
	1 2	3	4	1	2		3	4	
3	Technical Assistant	(1)) By Promotion— 3 years experience as	6	Draftsman -c Surveyor	sun-		(1) By Promotion	
	Assistant		Statistical Assistant. 2) By transfer or deputation	T .				(i) Five years surveyor.	experience as
		(1)	Master degree in Economics Agriculture Feonomics Mathematics Commerce, with		a			(2) By transfer or (i) National Transfer Draftsman	
			Statistical as one of the papers at Master Degree or at the level of Honors Degree in Economics/Mathematics/Science	lg:				Industrial Tra or from recogn (ii). Seven years	ised institute;
			Agriculture Science; (ii) Five years experience Statistical Assistant;	100				šurvoyor; (iii) Knowledge	
			(iii) Knowledge of Hndi upto matric standard:	7	Head Mech	anic		matric stand (1) By Promotio	
2	4 Divsional Forest Public Officer	ity from a recognised University	t (1) By transfer or deputation					(i) Seven years mechanic.	experience as
		 (i) Diploma in Mass Communication from a recognised Unversity or institute; 	(i) B. A./B. com. or equival- i- lent from a recognised Univer- sity or its equivalent institute; (ii) Diploma in Mass Communi-		e e			(2) By transfer of(i) National Tr	
		(iii) Knowledge of Hindi upto	cation from a recognised University or Institute; o (iii) 5 years experience as Divisional Publicity Officer;					for Motor Moc from Industrial	hanic of Fitter
		matric standard;	(iv) Knowledge of Hindi upto matric standard.					(ii) Savan yaars mechanic ;	experience as
	5 Statistical Assistant	(i) Master degree in Economics Agriculture Economics/Math matics/Commerce, with Statis	U-					(iii) Three year, reputed work	
		Master Degree or at the level	of (2) By transfer or deputation—					(iv) Knowledge matric standa	ırd.
		Maths Science/Agriculture	(i) Master degree li	1 2 3	3' Forest Kan	ungo	_	(1) By Promotio	
		(ii) Knowledge of Hindi upto matric standard.	marge with statistics as on	U III	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				experience as narcation Super- ion/Darogha.
			of the papers at Master Degree or at the level of Honor degree in Economics/Math	S				(2) By transfer	or deputation—
			Science/Agriculture Science (ii) Five years experience a Research Investigator; (iii) Knowledge or Hindi upl matric standard.	ıs		5.169 - 15.		(i) Matriculation lent from a recoversity/School/Board or Institu	ognised Uni- Education
			matric standard.	-	AND DESCRIPTION OF SUCH			The state of the s	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

2 3 4 3 2 1 (iii) Certificate of having Training Institute: atleast one Year experience (iii) One year experience as photographer; in photography Technique (ii) Certificate of Patwar (iv) Knowledge of Hindi upto after acquiring basic quali-Training from Patwar Train matric standard. cation from a reputed photoning School of Government grapher establishment; of Haryana or (iv) Knowledge of Hindi upto recognised Institute; matric standard. Research (i) By promotion—
(i) Five years experience as (iii) Ten years experience Investigator Patwari ; Computer. (2) By transfer or deputation-(iv) Knowledge of Hindl upto (i) Matriculation with 2nd divimatric standard. sion or equivalent qualification from Haryana School Educa-(1) By promotion-(i) Diploma in Architecture Draftsman tion Board or recognised Five years experience as Traces Assistantship, or National institute; Trade Certificate for Drafts-(2) By transfer or deputation-(ii) Knowledge to oporate calcu-(i) Diploma in Architecture Assi man (Civil) from Industrial lating machine as data entry antship, or National Trade Training Institute or from a operator in Computer; Certificate for Draftsman recognised Institute; (iii) Seven years experience as (Civil) from Industrial Training (ii) Knowledge of Hindi upto computer; Institute or from a recognise matric standard. (iv) Knowledge of Hindi upto matric Institute: standard. (ii) Seven years experience as Cinema (i) Certificate of competency to (1) By transfer or deputation-Tracer; (iii) Knowledge of Hindi upi Assistant handle and operate Cinema- (i) Certificate of competency to matric standard. tograph awarded by the handle and operate Cinematograph awarded by the Chief Chief Electrical Inspector, Government of Harvana or Electrical Inspector, Govern-(1) By transfer or deputation-(i) Intermediate/10-2 or its 10. Artist ment of Haryana or from from any other recognised equivalent from a recognised (i) Intermediate/10+2 or any other recognised Institute; Institute; equivalent from a recognise University or School Edu-University or School Educa (ii) Working knowledge of cation Board or Institute; tion Board or Institute; handling all type of the film projector's Epidiascopo, Tape (ii) Working knowledge of (ii) Degree in fine arts from (ii) Degree in fine arts from handling all type of the film Government Art College o Recorders Generating Sets, Government Art College or projector's Epidiascope, Tapo Record Changer and any other recognised institute any other recognised Institute Recorders, Generating Sets, or Industrial Training Amplifier; or Industrial Training Insti-(iii) Knowledge of Hindi upto Record Changer and Amplifier; Instituto; (iii) Knowledge of Hindi upto (iii) One year experience (iii) Three years experience as matric standard Cinema Operator; Artist: matric standard. (iv) Knowledge of Hindi upto (iv) Knowledge of Hindi upt matric standard. matric standard. (i) National Trade Certificate Five years experience as Tractor Mechanic (i) Matriculation or its equi- (1) By transfer or deputationfor Motor Mechanic or fitter Driver/Tubewell Operator. 11. Photographer (i) Matriculation or its equivale from Industrial Training valent from a recognised from a recognised University Institute or from any other University/School Education School Education Board o recognised Institute; Board or Institute; (ii) Three years experience in a (ii) Diploma in Commercial Instituto; Art of a recognised institute (ii) Diploma in Commercial Ar reputed workshop; of a recognised Institute of (iii) Knowledge of Hindi upto or School of Art or Industrial School of Art or Industria matric standard. Training Institute;

2 (i) National Trade Ce dificate (1) By transfer or deputation 20. Tracer Five years experience as Tractor 15. Driver (i) Middle Pass; (i) Five years experience as trace'; for Draftsman (Civil) from (ii) Licence for driving light Driver/Cleaner or Group D Industrial Training Institute or (ii) National Trade Certificate employee having licence for traffic vehicle; for Draftsman (Civil) from from a recognised institute; driving light vehicle. (iii) Working knowledge of (ii) Knowledge of Hindi upto matric standard. Industrial Training Institute handling Petrol, Electrical or from a recognised I stitute; Diesel Engines; (iii) Knowledge of Hindi upto (iv) Should be able to read and matric standard. write Hindi. (1) By transfer or deputation -21. Tubewell (i) Middle Pass; (i) Five years experience as tube-(ii) National Trade certificate Operator (1) By promotion-Middle Pass. 16. Tractor Driver well operator, in Motor Mechanic or fitter (i) Five years experience as (ii) Tractor Driving Licence; frem Industrial Training (ii) Middle Pass; (iii) Should be able to read and cleaner; (iii) National Trade certificate Institute or from any other (ii) Licence for tractor driving write Hindi recognised Institute; in Motor Mechanic or fitter from recognised Institute; from Industrial Training (iii) Two years experience of (iii) Working knowledge of Institute or from any other handling tubowell, engines and handling Petrol, Diesel, recognised Institute; pumping sets in a reputed Electrical Engines. (iv) Two years experience of firm or organisation; handling tubewell, engineers (iv) Should be able to read (1) By transfer or deputation-(i) B.A./B.Com. or Its equi-17. Assistant to and pumping sets in reputed and write Hindi. (i) B.A./B.Com. or its equi-Chief Publicity valent from a recognised firm or organisation; university or its equivalent; valent from a recognised Officer (v) Knowledge of Hindi up to university or its equivalent; (ii) Knowledge of Hindi upto middle standard. (ii) Knowledge of Hindi upto matric standard. 22. Tubewell (1) By transfer or depuatation .-(i) Middle Pass; matric standard. Mechanic (ii) National Trade certificate (i) Five years experience as tubein Motor Mechanic or fitter well mechanic; (1) By transfer or deputation-(i) Mat iculation with 2nd , 18. Computer (ii) Middle Pass; from Industrial Training division or equivalent quali- (i) Five years experience as Institute or from any other (iii) National Trade certificate in computer; fication from Haryana Moto: Mechanic or fitter recognised Institute; School Education Board or (ii) Matriculation with 2nd from Industrial Training (iii) One year experience in recognised institute; division or equivalent qualification from Haryana School Institute or from any other maintenance of tubewells (ii) Knowledge to operate in a reputed firm or organirecognised Institute; Education Board or recognised calculating machine as data sation; (iv) One year experience in Institute; entry operator in Computer; maintenance of tubowells in a (iii) Knowledge of Hindi upto (iii) Knowledge to operate calcu-(iv) Should be able to read and write Hindi. reputed firm or organisation lating machine as data entry matric standard (v) Krowledge of Hindi up to operator in Computer; middle standard. (iv) Knowledge of Hindi upto matric standard. 23. Forest Patwari (i) Matriculation or its equi-(1) By transfer or deputationvalent from a recognised' (i) Five years experience as Patwari; (i) National Trade Certificate (1) By transfer or deputation-University/School Education 19. Surveyor Board or Institute: (ii) Matriculation or its equivalent (i) Seven years experience. as for draftsman (Civil) from (ii) Certificate of Patwar from a recognised University/ Industrial Training Institute surveyor; Training from 'Patwar School Education Board or (ii) National Trado Curtificate or from a recognised ineti-Training School of Govern-Institute; for draftsman (Civil) from ment of Haryana cr from (iii) Certificate of Patwar Training (ii) Knowledge of Hindi up to Industrial Training Institute recognised institute: from Patwar Training School matric standard. or from a recognised institute; (iii) Knowledge of Hindi upto of Government of Harvana or (iii) Knowledge of Hindi upto matric standard. from recognised Institute; matric standard. (iv) Knowledge of Hindi up to matric standard.

HARYANA GOVT. GAZ., APRIL 14, 1998 (CHTR. 24, 1920 SAKA)

APPENDIX C [See rule (14) 1]

1	2	3	4
24.	Demarcation Supervisor	valent from a recognised University/School Education Board or Institute; (ii) Certificate of Patwar Training from Patwar Training School of Government of Haryana or from recognised Institute; (iii) Knowledge of Hindi up to	(i) By transfer or deputation— (i) Five years experience as Patwari; (ii) Matriculation or its equivalent from a recognised University/ School Education Board or Institute; (iii) Certificate of Patwar Training from Patwar Training School of Government of Haryana
25.	Demarcation Daroga	matric standard.	from a recognised University/ School Education Board or Institute; (iii) Certificate of Patwar Training from Patwar Training
26.	Restorer	₩.	 (iv) Knowledge of Hindi up to matric standard; (1) By Promotion— Three years experience as Deftri; (2) By transfer or deputation— (i) Ten years experience as Daftri; (ii) Five years experience as restorer; (iii) Knowledge of Hindi up to matric standard.

Sa	r. Designation of o. post	Appointing Authority	N	lature of penalty	Authority empowe ed to impose penalty	late	Second and final appel- late autho- rity		
1	2	3		4	5	6	7		
1	Circle Head Draftsman	Transport Commis-		Minor Penalties	Chief Conser-	Additional Principal	Chief		
	Naib Tehnildar	sioner	(1)	warning with a copy in the personal file (character roll);		Chief Con- servator of Forests			
3	Technical Assistant		(ii)	Censure;	Forests				
4	Divisional Forest Publicity Officer		(iii)	withholding of promotion;					
5	Statistical Assistant		(iv)	recovery from pay of the who or part of any					
6	Draftsman-cum- Surveyor			pecuniary loss caused by negl	li-				
7	Head Mechanic			of orders to the	he				
8	Forest Kanungo			Central Government or a	n-				
9	Draftsman			State Govern- ement or to a company					
10	Artist			and association or a body of individuals	n				
11	Photographer			whether in- corporated or					
12	Research Investig	ator		not, which is wholly or sub- stantially owned or controlled					

12 Research Investigator

HAKTANA GOVT GAZ. APKIL 14, 1998

921

		APPENDIX D					
		[See rule 14 (2)]			1000		
Sr. No.	Designation of posts			nthority apowered make e order	Appellate authority	Second and Final appellate authority if, any	
1	2	3		4	5	6	
1 2	Circle Head Draftsman Naib Tehsildar	 reducing or withholding the amount of ordinary or additi- pension admissible under the governing pension; 	Milai	Chief	Governme	ent —	
3	Technical Assistant	(ii) terminating the appointment otherwise then on his attain the age fixed for superannua	ng	30.75			
4	Divisional Forest Publicity Officer						
5	Statistical Assistant						
6	Draftsman- cum-Surveyor						
7	Head Mechan	ic					
8	Forest Kanungo						
	9 Draftsman						
1	0 Artist						
1	1 Photographer						
1	2 Research Investigator						
1	3 Cinema Assistant				and the second s		

1	2	3	4	5	6
14	Mechanic				
15	Driver				
16	Tractor Driver				
17	Assistant to Chief Publicity Officer				
18	Computer				
19	Surveyor				
20	Tracer				
21	Tubewell Operator				
22	Tubewell Mechanic				
23	Forest Patwari				
24	Demarcation Supervisor				
25	Demarcation Daroga				
26	Restorer				

H. C. DISODIA,

Commissioner and Secretary to Government, Haryana, Forest Department.

19083 CS (H)-Govt. Press, U.T., Chd.